

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
I/निगरानी/विदिशा/शु-21/2017/1866
प्रकरण क्रमांक 12017 निगरानी

- १- अमय कुमार जैन पुत्र श्री गुलाब चन्द जैन,
- २- श्रीमती रानी जैन पत्नी अमय कुमार जैन,
निवासीगण- हनुमान चौक, गंज वासीदा,
तेहसील गंज वासीदा जिला विदिशा-म०प्र० ।
- ३- रामकृष्ण पुत्र भगवान सिंहखुशी,
निवासी ग्राम मेहलुवा, तेहसील कुरवाई,
जिला विदिशा-म०प्र० ।

----- पृथगीगण

बिरगुध

- १- पूरन सिंह पुत्र मुंशीलाल सैन,
- २- कमल सिंह पुत्र मुंशीलाल सैन,
निवासीगण- ग्राम मिठेपुर, तेहसील सिरौंज
जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।
- ३- गुलाब सिंह पुत्र मुंशीलाल सैन, निवासी -राजोदा-
राँड, गंज वासीदा, तेहसील गंज वासीदा,
जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।
- ४- गनेशराम पुत्र हु मुंशीलाल सैन, निवासी ग्राम-
मेहलुवा, तेहसील कुरवाई जिला विदिशा-म०प्र० ।
- ५- सीताराम पुत्र मुंशीलाल सैन, निवासी राजोदाराँड,
गंज वासीदा, तेहसील गंजासोदा, जिला विदिशा
मध्यप्रदेश ।

६- मध्यप्रदेश शासन -----प्रतिपृथगीगण

निगरानी बिरगुध आदेश राजस्व निरीक्षाक महोदय, मण्डल-१,
कुरवाई, तेहसील दिनांक १०-६-१७ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश,
मु-राजस्व संहिता, १९५६। प्र०क्र० ६५।ब-१२।२०१५-१६ ।

श्री राजू के. कश्यप, आर
द्वारा आज दि 23/6/17 को
प्रस्तुत

केलक ऑफ फिले 23/6/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

23/6/17
23/6/17

कार
वापर
स्थावर

23/6/17

23/6/17

शाराम

लि

कार
वापर


3

क्रमांक:--२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1866

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	

3